

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/92/2017

तारीख रजु 12.07.2017

उनवान

- 1.किशन
- 2.रामधन
- 3.अमरसिंह
- 4.मोहन
- 5.मुकेश
- 6.बहादुर
- 7.धनफूली

पिसरान किरोडी जाति माली  
बाढ करसौली तहसील हिण्डौन

-----वादी

बनाम

- 1.गोपाल पुत्र दुर्जन जाति माली निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली।
- 2.तहसीलदार हिण्डौन। लैण्ड होल्डर।
- 3.सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी।

-----प्रतिवादी

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री कृष्ण मुरारि शर्मा एडवाकेट।  
प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 1588, 1589, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600 एवं ग्राम कल्याणपुर सायटा तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 99, 100, 101 के तकास्मा आराजीयात, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादीगण की द्वारा दिनांक 27.11.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनका प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा होने से दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायल का दावा मुकदमा नंबर 92/2017 किशनलाल वगै. बनाम गोपाल वगै. नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

27.11.19  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

